

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या-4/2017/1/1/2017-का-2
लखनऊ, दिनांक : 31 अगस्त , 2017

अधिसूचना संख्या-4/2017/1/1/2017-का-2 ,दिनांक 31 अगस्त , 2017 के द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बंद किया जाना) नियमावली, 2017 (अंग्रेजी रूपांतर सहित) की संलग्न प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव ,उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी ,उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष ,उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव ,श्री राज्यपाल ,उत्तर प्रदेश।
5. प्रमुख सचिव/ सचिव ,मा .मुख्यमंत्री जी।
6. प्रमुख सचिव ,विधान परिषद/ विधान सभा ,उत्तर प्रदेश।
7. सचिव ,राजस्व परिषद ,उत्तर प्रदेश।
8. सचिव ,लोक सेवा आयोग ,उत्तर प्रदेश ,इलाहाबाद।
9. सचिव ,उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ,लखनऊ।
10. निदेशक ,सूचना ,उत्तर प्रदेश।
11. वेब अधिकारी/ वेब मास्टर ,नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ,उत्तर प्रदेश।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अशोक कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या-4/2017/1/1/2017-का-2
लखनऊ, दिनांक: 31 अगस्त, 2017

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमावलियों और आदेशों को अधिक्रमण करके राज्यपाल, निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बंद किया जाना) नियमावली, 2017

- | | |
|--|--|
| संक्षिप्त नाम,
प्रारम्भ एवं लागू होना | 1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बंद किया जाना) नियमावली, 2017 कही जायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
(3) यह संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन अवर स्तरीय पदों की सीधी भर्ती पर लागू होगी, उन पदों और विभागों के सिवाय, जो सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश से इस नियमावली के लागू होने से अपवर्जित हो। |
| अध्यारोही प्रभाव | 2- यह नियमावली किसी अन्य नियमावली या आदेशों में दी गई किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगी। |
| परिभाषा | 3- इस नियमावली में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो;
(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य संगत सेवा नियमावली के अधीन नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;
(ख) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है;
(ग) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;
(घ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;
(ङ.) "अवर स्तरीय पद" का तात्पर्य समय-समय पर सरकार द्वारा समूह 'ख' (अराजपत्रित), समूह 'ग' और समूह 'घ' में यथा वर्गीकृत पदों से है; |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

अवर स्तरीय पदों पर
सीधी भर्ती में
साक्षात्कार का बंद
किया जाना

- 4- अवर स्तरीय पदों पर, सीधी भर्ती में, संगत सेवा नियमावली में चयन प्रक्रिया में विहित साक्षात्कार की व्यवस्था बंद कर दी जायेगी और ऐसी बंदी पर:-
- (क) जहाँ अवर स्तरीय पद पर सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया केवल साक्षात्कार के आधार पर विहित है वहाँ ऐसा चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा।
- (ख) जहाँ चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए पृथक अंक विहित हैं वहाँ साक्षात्कार के अंकों को, लिखित परीक्षा हेतु विहित अंकों में सम्मिलित कर दिया जायेगा। लिखित परीक्षा के लिए उपबंध न होने की दशा में, साक्षात्कार के लिए विहित अंकों को लिखित परीक्षा के लिए विहित अंक माना जायेगा।
- (ग) जहाँ चयन हेतु कौशल परीक्षण या तकनीकी परीक्षा आवश्यक हो वहाँ ऐसे परीक्षण/परीक्षा हेतु विहित अंक केवल अर्हकारी होंगे और ऐसे अंक सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया में नहीं जोड़े जायेंगे।
- (घ) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व, किसी अवर स्तरीय पद पर चयन के लिए विज्ञापन किया जा चुका है और चयन प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसा चयन अप्रभावित रहेगा और इस निमित्त जारी किये गये विज्ञापन के अनुसार चयन किया जायेगा।
- (ङ.) यदि विशेष परिस्थितियों में, सरकार का प्रशासकीय विभाग किसी विशिष्ट अवर स्तर पद पर चयन हेतु साक्षात्कार को विहित किया जाना न्यायोचित पाता है तो प्रशासकीय विभाग सरकार के कार्मिक विभाग को समुचित प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, जो ऐसे प्रस्ताव पर सुविचारित निर्णय लेगा।

सीधी भर्ती के अन्य
निबन्धनों और शर्तों का
अप्रभावित रहना

- 5- नियम-4 के उपबन्धों के अधीन संगत सेवा नियमावली में अंतर्विष्ट अन्य उपबन्ध अप्रभावित रहेंगे।

आज्ञा से,
दीपक त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4/2017/1/1/2017-Ka-2, dated, August 31, 2017:

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
PERSONNEL SECTION-2

NOTIFICATION

Miscellaneous

Number-4/2017/1/1/2017-Ka-2

Dated, Lucknow, August 31, 2017

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules:

THE UTTAR PRADESH DIRECT RECRUITMENT TO JUNIOR LEVEL POSTS (DISCONTINUATION OF INTERVIEW) RULES, 2017

- | | |
|--|---|
| Short title,
Commencement
and application | 1- (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Direct Recruitment To Junior Level Posts (Discontinuation Of Interview) Rules, 2017.
(2) They shall come into force at once.
(3) They shall apply to direct recruitment to junior level posts under the rule making power of the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution, except the posts and Departments, which are excluded from application of these rules by the Government by notified order. |
| Overriding
effect | 2- These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules or orders. |
| Definitions | 3- In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:
(a) "appointing authority" means the authority empowered to make appointment under the relevant service rules;
(b) "Constitution" means the constitution of India;
(c) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;
(d) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;
(e) "Junior Level Posts" means the posts as classified in group 'B' (non-gazetted), group 'C' and group 'D' by the Government from time to time. |
| Discontinuation
of Interview in
making direct
recruitment to
junior level
posts | 4- The provision of interview prescribed in the selection procedure in the relevant Service Rules in making direct recruitment to junior level posts shall stand discontinued, and upon such discontinuation:-
(a) Where the procedure for direct recruitment to a junior level post is prescribed on the basis of interview only, such selection shall be made on the basis of written examination only.
(b) Where separate marks are prescribed for written test and interview in the selection procedure, the marks for interview shall be included in the marks prescribed for written examination. In case there is no |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

provision for written examination, the marks prescribed for interview shall be presumed as the marks prescribed for written examination.

- (c) For selection to the posts where skill test or technical examination is required, the marks prescribed for such test/examination shall be only qualifying in nature and such marks shall not be counted in the overall selection procedure.
- (d) If prior to commencement of these rules, the advertisement for selection to any junior level post has been made and the selection process is ongoing, such selection shall remain unaffected and shall be made in accordance with the advertisement issued in this behalf.
- (e) If in special circumstances, the Administrative Department of the Government finds a justification to prescribe the interview for selection to a particular junior level post, the Administrative Department will submit the appropriate proposal to the Personnel Department of the Government, which will take a well-considered decision on such proposal.

**Other terms
and conditions
for direct
recruitment to
remain
unaffected**

- 5- Subject to the provisions of rule-4, the other provisions contained in the relevant Service Rules shall remain unaffected.

By order,
Deepak Trivedi
Additional Chief Secretary